408



36. विद्युत सब स्टेशन के लिए आवश्यक क्षेत्रफल यू.पी.पी.सी.एल. के द्वारा निर्धारित नार्म्स के अनुसार उपलब्ध कराना होगा। विद्युत कनैक्शन स्वयं प्राप्त करना होगा इसमें प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

37. एस.टी.पी. के क्षेत्रफल, क्षमता एवं डिजाईन को निर्धारित मानकों के अनुसार योजनान्तर्गत स्थापित करना होगा।

38. ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड संख्या पी--1 को वर्तमान ले--आउट में यथावत प्रस्तावित करने के कारण उस पर स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग के मानचित्र को छोडकर योजना के शेष पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र सं. 386/ईएचए/09--10 दि. 30.05.09 की स्वीकृति शून्य मानी जायेगी।

39. पूर्व स्वीकृति के क्रम में यदि विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड /परिसम्पत्तियों का अन्तरण /विक्रय /विकास किया गया है एवं पुनरीक्षित तलपट मानचित्र में उनका भू--उपयोग परिवर्तन हो रहा है तो उसका समायोजन विकासकर्ता को करना होगा। इस हेतु दी गयी सहमति/अण्डरटेकिंग दिनांक 09.12.11 का पालन करना होगा।

40. सी.बी.एस.ई./शिक्षा विभाग अथवा बोर्ड द्वारा शैक्षिक उपयोग हेतु नर्सरी से लेकर इण्टर कॉलिज तक की शिक्षा हेतु अतिरिक्त भूमि की मांग की जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी को उक्त हेतु वांछित भूमि को उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित तलपट मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।ण

41. योजनान्तर्गत एल.आई.जी. एवं ई.डब्लू.एस. तथा सार्वजनिक सुविधाओं का विकास/निर्माण भी योजना के अन्य विकास कार्यों की भौतिक प्रगति के अनुपात में हो। अन्य कार्यों की प्रगति के साथ--साथ इनकी प्रगति भी परिलक्षित होनी चाहिए। यदि एल.आई.जी./ई.डब्लू.एस. भूखण्डों पर वांछित ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. भवनों की पूर्ति नहीं होती है तो वांछित अवशेष एल.आई. जी./ई.डब्लू.एस. भवनों की प्रतिपूर्ति ग्रुप हाउसिंग/आवासीय/ व्यवसायिक प्रकृति के अन्य भूखण्डों पर करनी होगी।

42. समस्त अवस्थापना सुविधाओं हेतु समस्त विकास/निर्माण कार्य पी.डब्लू.डी., यू.पी.पी.सी.एल., भवन उपविधि--2008, एन.बी.सी. एवं शासनादेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्थल पर कराये जाने होंगे। समस्त विकास/निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा इस हेतु सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन करना होगा।

43. आर.डब्लू.ए. व विकासकर्ता के मध्य वाद--विवाद की स्थिति में समस्त दायित्व विकासकर्ता का होगा।

44. योजना का अनुरक्षण पक्ष द्वारा तब तक किया जाता रहेगा जब तक इसे नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं कर दिया जाता है। नगर निगम को हस्तान्तरित करने की जिम्मेदारी भी पक्ष की होगी।

45 अवस्थापना सुविधाओं हेतु प्रस्तुत सर्विस प्लान एवं डिजाइन का एक सेट अभियंत्रण अनुभाग को प्रेषित किया जा रहा है, यदि उनके द्वारा कोई संशोधन अथवा सुझाव प्रस्तावित किया जाता है तो तदानुसार संशोधित सर्विस प्लान प्रस्तुत करने होंगे।

For Sare Saamag Realty Private Limited

Authorised Signatory

409



46. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी अथवा शमन के समय उक्त मद में प्राधिकरण कोष में धनराशि जमा किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त डवलपमेंट एग्रीमेंट में उल्लिखित समस्त शर्तों, शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा। पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

संलग्नकः-
1- एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

प्रभारी अधिकारी
(मास्टर प्लान)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक- 2115T/[illegible]/2012 दिनांकः 25-1-2012

प्रतिलिपिः
1- प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी
(मास्टर प्लान)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

For Sare Saamag Realty Private Limited
Authorised Signatory

410

पत्रांक:फा0स0 / 943 / 2009

कार्यालय
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गाजियाबाद।
दिनांक:जुलाई, 25,2009

सेवा में,

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषयः प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था विषयक अस्थाई अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपके पत्रांक-764 / मा0 प्लान / 09 दिनांक 21-7-2009।

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र अनुसार खसरा न0-2786,2788 से 2792,2857 से 2864,2870 से 2873,3020 व 3021 ग्राम शाहपुर बम्हैटा गाजियाबाद पर प्रस्तावित आवासीय ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु जिसका कुल प्लाट एरिया-28900.00वर्गमीटर, ग्राउण्ड कवर्ड एरिया-6705.54वर्गमीटर, कुल कवर्ड एरिया-31717.85वर्गमीटर ब्लॉक ए-1 से ए-10 तक ग्राउण्ड कवरेज-3234.92वर्गमीटर एवं कुल कवर्ड एरिया-12704.22वर्गमीटर उचॉई-12.45मीटर एवं ब्लॉक बी-1 से बी-4 तक ग्राउण्ड कवर्ड एरिया-1752.05वर्गमीटर एवं कुल कवर्ड एरिया-6946.74वर्गमीटर उचॉई-12.45मीटर, कम्युनिटी हॉल कवर्ड एरिया 149.80वर्गमीटर, कुल कवर्ड एरिया-299.60वर्गमीटर, ब्लॉक सी-1 से सी-3 तक ग्राउण्ड कवर्ड एरिया-1568.77वर्गमीटर एवं कुल कवर्ड एरिया-11767.29वर्गमीटर, उचॉई-26.91मीटर अंकित के संलग्नक मानचित्र / साइट प्लान का अवलोकन उपरान्त से सम्बन्धित भवन साइट का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली द्वारा कराया गया तो प्रस्तावित भवन साइट / मानचित्र अनुसार संतोषजनक है भवन में सभी स्थाई इन्स्टालेशन व बाहरी सुरक्षा व्यवस्था अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम-2005 व नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया-2005 के पार्ट-4 के अनुरूप "फायर एन्ड लाइफ सेफटी" की टेबिल 23 में अंकित आवासीय भवनों हेतु प्राविधानित अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्थायें जैसेः फायर एक्सटिंग्यूशर्स, हौजरील, डाउन कमर,, मैन्युअली आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम, टैरेस टैंक क्षमता-25,000ली0, टैरेस फायर पम्प क्षमता-900एल0पी0एम0, सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था, फायरमैन स्विच युक्त फायरमैन लिफ्ट, विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्त्रोत, निकास मार्ग एवं फायर स्केप, सैटबैक, पहुँच मार्ग, कमपार्टमैन्टलाईजेशन, निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह के साथ साथ उ0प्र0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुऐ जल व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप करायी जायेगी।

भवन निर्माण एवं अग्निशमन प्रणाली की स्थापना प्लम्बिंग एवं विद्युत आदि कार्यो में भवन निर्माता द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 तथा आई:एस-3844:1989 (1995) का पालन कर सूचित किया जायेगा ताकि मानकों के अनुरूप परीक्षण / निरीक्षण कर अग्निशमन उपकरणों की समुचित व्यवस्था हो जाने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके यदि इसमें किसी प्रकार का डेवियेशन किया जाता है तो निर्गत पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

अतः उक्त भवन निर्माण हेतु मानचित्र / साइट प्लान का प्राथमिक अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बन्धी निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र (1 वर्क)

25/7/09
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गाजियाबाद

प्रतिलिपिः-मैसर्स सामग कन्सट्रक्शन लिमिटेड बी-67 सरिता बिहार नई दिल्ली नई दिल्ली को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

For Sare Saamag Realty Private Limited

Authorised Signatory

पत्रांक:फा0स0 / 943 / 2009

कार्यालय
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गाजियाबाद।
दिनांक:जुलाई, 25 2009

सेवा में,
नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषयः प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था विषयक अस्थाई अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपके पत्रांक–764 / मा0 प्लान / 09 दिनांक 21–7–2009।

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र अनुसार खसरा न0–2786,2788 से 2792,2857 से 2864,2870 से 2873,3020 व 3021 ग्राम शाहपुर बम्हैटा गाजियाबाद पर प्रस्तावित आवासीय ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु जिसका कुल प्लाट एरिया–28900.00वर्गमीटर, ग्राउण्ड कवर्ड एरिया–6705.54वर्गमीटर, कुल कवर्ड एरिया–31717.85वर्गमीटर ब्लॉक ए–1 से ए–10 तक ग्राउण्ड कवरेज–3234.92वर्गमीटर एवं कुल कवर्ड एरिया–12704.22वर्गमीटर उचॉई–12.45मीटर एवं ब्लॉक बी–1 से बी–4 तक ग्राउण्ड कवर्ड एरिया–1752.05वर्गमीटर एवं कुल कवर्ड एरिया–6946.74वर्गमीटर उचॉई–12.45मीटर, कम्युनिटी हॉल कवर्ड एरिया 149.80वर्गमीटर, कुल कवर्ड एरिया–299.60वर्गमीटर, ब्लॉक सी–1 से सी–3 तक ग्राउण्ड कवर्ड एरिया–1568.77वर्गमीटर एवं कुल कवर्ड एरिया–11767.29वर्गमीटर, उचॉई–26.91मीटर अंकित के संलग्नक मानचित्र / साइट प्लान का अवलोकन उपरान्त से सम्बन्धित भवन साइट का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली द्वारा कराया गया तो प्रस्तावित भवन साइट / मानचित्र अनुसार संतोषजनक है भवन में सभी स्थाई इन्स्टालेशन व वाहरी सुरक्षा व्यवस्था अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम–2005 व नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया–2005 के पार्ट–4 के अनुरूप "फायर एन्ड लाइफ सेफटी" की टेबिल 23 में अंकित आवासीय भवनों हेतु प्राविधानित अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्थायें जैसेः फायर एक्सटिंग्यूशर्स, हौजरील, डाउन कमर,, मैन्युअली आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम, टैरेस टैंक क्षमता–25,000ली0, टैरेस फायर पम्प क्षमता–900एल0पी0एम0, सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था, फायरमैन स्विच युक्त फायरमैन लिफ्ट, विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्त्रोत, निकास मार्ग एवं फायर स्केप, सैटबैक, पहुँच मार्ग, कमपार्टमैन्टलाईजेशन, निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह के साथ साथ उ0प्र0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुऐ जल व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप करायी जायेगी।

भवन निर्माण एवं अग्निशमन प्रणाली की स्थापना प्लम्बिंग एवं विद्युत आदि कार्यो में भवन निर्माता द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 तथा आई:एस–3844:1989 (1995) का पालन कर सूचित किया जायेगा ताकि मानकों के अनुरूप परीक्षण / निरीक्षण कर अग्निशमन उपकरणों की समुचित व्यवस्था हो जाने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके यदि इसमें किसी प्रकार का डेवियेशन किया जाता है तो निर्गत पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

अतः उक्त भवन निर्माण हेतु मानचित्र / साइट प्लान का प्राथमिक अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बन्धी निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र (1 वर्क)

For Sare Saamag Realty Private Limited
Authorised Signatory

25/7/09
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गाजियाबाद

प्रतिलिपिः–मैसर्स सामग कन्सट्रक्शन लिमिटेड बी–67 सरिता बिहार नई दिल्ली नई दिल्ली को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

Ebony Green 18283 UK

कार्यालय निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः रिनु0/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–16(गाजि0)/ 199- दिनांकः जुलाई 8 2016,

सेवा मे,

प्रबन्धक,/स्वामी
मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि0,
जी0एच0–02, पाकेट–1, खसरा नं0–2786, 2788 से 2792 तक 2857 से 2864,
2870 से 2873, एवं 3021 ग्राम शाहपुर बम्हैटा,
जनपद–गाजियाबाद।

विषयः मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा जी0एच0–02, पाकेट–1, (खसरा नं0–2786, 2788 से 2792 तक 2857 से 2864, 2870 से 2873, एवं 3021) ग्राम शाहपुर बम्हैटा जिला गाजियाबाद मे निर्मित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2016–2017 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः यूआईडी:2015/10234/जीजैडबी/गाजियाबाद/611/जे0डी0

महोदय,

कृपया अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2016–2017 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली जनपद गाजियाबाद से कराया गया तो उनकी आख्याः आर–7/एफ0एस0के0–2012 दिनांकः 23–06–2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक 29–06–2016 इस कार्यालय को प्राप्त दिनांकः 02–07–2016 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार किया गया विवरण निम्नवत है:–

प्रश्नगत भवन को पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरणः–आर–17/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–12(गाजि0)/273 दिनांकः 24–06–2015

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–30,856.00 वर्ग मी0।

2–भूतल कवर्ड एरिया–6157.47 वर्ग मी0।

| कर्मांक | नाम ब्लाक | तलों की संख्या | भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 | स्टेयरकेस की संख्या एवं चैडाई मी0 | ऊचॉई मी0। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्लाक–ए–1, | भूतल एवं 03 तल | 186.737 | 01 अदद 01.50 | 12.50 |
| 2 | ब्लाक–ए–2 से ए–7, एवं ए–9 व 10 | भूतल एवं 03 तल | 338.686 | 01 अदद 01.50 (प्रत्येक ब्लाक) | 12.50 |
| 3 | ब्लाक–ए–8 | भूतल एवं 03 तल | 262.616 | 01 अदद 01.50 | 12.50 |
| 4 | ब्लाक–बी–1 से बी–4 | भूतल एवं 03 तल | 438.010 | 01 अदद 01.50 (प्रत्येक ब्लाक) | 12.50 |
| 5 | ब्लाक–सी–1 से सी–3, | स्टिल्ट भूतल एवं 08 तल | 29.780 | 02 अदद 01.50/01.25(प्रत्येक ब्लाक | 26.85 |

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड विवरणः– प्रश्नगत भवन का प्रयोग एन0बी0सी0 की सामूहिक आवासीय भवन श्रेणी ए0–4 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। भवन के स्टिल्ट का प्रयोग पार्किंग हेतु तथा शेष सभी तलों का प्रयोग आवासीय हेतु किया जाना ही अनुमन्य होगा।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुँच मार्गः– भवन के सामने रोड की चौडाई 45.00 मीटर है तथा 18.00 मी0 अप्रोच रोड पर प्रवेश एवं निकास द्वार उपलब्ध है। जो भवन विनियमावली के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वारः– प्रश्नगत भवन मे प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौडाई–06.00 मी0 उपलब्ध है।

3–सैटबेकः– प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग–10.11 मीटर।

बी0–पृष्ठ भाग–11.50 मीटर।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–11.50 मीटर।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–12.90 मीटर।

For Sare Saamag Realty Private Limited

Authorised Signatory

(डी0 के0 राय)
निदेशक, फायर सर्विस
उ0 प्र0 लखनऊ

413

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबेक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार है। अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओं के अनुसार वॉच्छनीय 06 मीटर मोटरेबुल मार्ग उपलब्ध है। उपलब्ध सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये, जिसमे किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा।

4– निकास मार्गः– प्रश्नगत भवन के उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस उपलब्ध है। जिनकी समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5– रिफ्यूज एरियाः– निर्मित भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकानी का प्राविधान किया गया है, जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार रिफ्यूज एरिया हेतु मान्य है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित है।

1–भूमिगतः– प्रश्नगत भवन मे भूमिगत टैंक वांछनीय नही है।

2–पम्पसः– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 900 एलपीएम स्थापित है।

3–टेरिस टैंकः प्रश्नगत भवन के 15 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए लगभग 10,000 ली0 क्षमता के कुल 06 अदद टेरिस टैंक एवं अन्य 03 अदद टावरों के लिए लगभग 25,000 हजार ली0 क्षमता के कुल 02 अदद टेरिस टैंक स्थापित है। इनसे सभी टावरों के अग्निशमन कार्यो हेतु डाउनकमर/होजरील सिस्टम से कनैक्ट किया गया है।

4–होजरीलः– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित है।

5–डाउनकमर सिस्टमः– 15 मी0 से ऊँचे सभी भवनों मे डाउनकमर सिस्टम स्थापित है।

6–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे वांछनीय नही है।

7–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।

8–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रश्नगत भवन फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 2190 के अनुसार स्थापित है।

9–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।

10–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद की आख्या के आधार पर मैसर्स सामग कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा जी0एच0–02, पाकेट–1, (खसरा नं0–2786, 2788 से 2792 तक 2857 से 2864, 2870 से 2873, एवं 3021) ग्राम शाहपुर बम्हैटा जिला गाजियाबाद मे निर्मित सामूहिक बहुमंजिली आवासीय भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन व्यवस्थाओं का वर्ष 2016–2017 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण्श पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1–भवन प्रबन्धक भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं मे किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5–प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल /फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6–प्रश्नगत भवन की विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध मे विद्युत निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7–वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

9–उक्त शर्तो का उल्लघंन पाये जाने की दशा मे निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(पी0के0राव)
निदेशक,फायर सर्विस
उ0प्र0,लखनऊ।

निदेशक, फायर सर्विस
उ0 प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

For Sare Saamag Realty Private Limited

Authorised Signatory